संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.3/**छिन्दवाड़ा**/2018/554 भोपाल, दिनांक05-03-18

//आदेश //

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला छिन्दवाड़ा ने उनके पत्र क्रमांक./622/दिनांक 05.03.2018 द्वारा पत्र संचालनालय की ओर प्रेषित करते हुये यह अवगत करवाया गया है कि दिनांक 04.03.2018 की शाम को 6.15 बजे हिमांशु भारद्वाज पिता रामेश्वर भारद्वाज का जमाई के पास रोड़ एक्सीड़ेंट हो गया उसे वहां से छिन्दवाड़ा के आनदं हास्पिटल से दिखाया गया उन्होने पेशेन्ट को कोमा में होने के कारण से इन्टुवेशन करके नागपुर रेफर कर दिया गया नागपुर नियुरोन हास्पीटल में इलाज कराया गया तथा वेंटेलेटर पर रखा गया। नियुरोन हास्पीटल के चिकित्सकों ने परिजनों को समझाईश देकर कि मरीज ब्रेन डेड है इसलिये उसके जीवित रहने की ज्यादा संभावना नहीं है परिजनों ने नियुरोन हास्पीटल से ऑन रिक्वेस्ट अस्पताल से छुटट्ी कराकर छिन्दवाड़ा के लिये वापस ले आया। वापस लाते समय मरीज को सौंसर के पास कंवल्शन आये तथा उसके बाद पेशेन्ट पल्सलेस हो गया तथा सास चलना बंद हो गई छिन्दवाड़ा आकर लगभग प्रातः 4.00 बजे जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा ले आये । जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा में नाईट ड्यूटी पर डॉ.दिनेश ठाकुर चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे तथा मरीजों के परिजनों ने डॉ.ठाकुर को एम्बुलेंस में पेशेन्ट को देखने का निवेदन किया।

डॉ.दिनेश ठाकुर,चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेशपरेशन और पल्सलेस होने के कारण मरीज को मृत धोषित कर पुलिस थाना में सूचना दी तथा शव को शवग्रह में रखवाया। प्रातःकाल 08.30 बजे डॉ.निर्णय पाण्ड़े चिकित्सा अधिकारी जिनकी आज पी.एम.ड्यूटी थी उन्होने मरीज को देखा तो मरीज की श्वास चल रही थी तथा पल्स रेगुलर चल रही थी साथ ही पेशेन्ट डीप कोमा में था।

यह कि जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा में नाईट ड्यूटी पर पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ.दिनेश ठाकुर ने बिना मरीज का प्राथमिक उपचार किये बिना ही उसे मृत धोषित करते हुये उसे शव को शवग्रह में रखवाया तथा पुलिस को सूचना दी । जबकि प्रातःकाल ड्यूटी पर उपस्थित डॉ.पाण्ड़े द्वारा मरीज को देखा तो मरीज की श्वास, तथा पल्स रेगुलर चल रही थी।

सर्वप्रथम डॉ.ठाकुर द्वारा मरीज को उपचार दिये बिना उसे मृत धोषित किया जाना अत्यन्त ही गंभीर पृकति का प्रकरण होकर धोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। तथा डॉ.ठाकुर द्वारा मरीज को मृत धोषित किये जाने संबंधी त्रुटिपूर्ण सूचना मरीज के परिजनों को दिये जाने के परिणामस्वरूप आम जन के समक्ष विभाग की छवि भी धूमिल हुई है।

उपरोक्त तथ्य विभाग के संज्ञान में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला छिन्दवाड़ा के माध्यम से आने पर डॉ.दिनेश ठाकुर,चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों/कर्त्तव्यों के प्रति धोर लापरवाही का परिचय देते हुये डॉ.ठाकुर द्वारा **मरीज को समय पर उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न कराया जाना, प्रोटोकॉल का पालन न कर करते हुये उन्होने** स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

निरन्तर.....2

अतः एतद आदेश द्वारा डॉ.दिनेश ठाकुर, चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम "1966" के नियम 09 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। **निलंबन काल में डॉ. ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर के अधीन किया जाता है।**

डॉ.ठाकुर को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

5/3/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.3/छिन्दवाड़ा/2018/ **भोपाल,दिनांक**
प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल की ओर प्रेषित्।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
3. अपर संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. संचालक,अस्पताल प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर उनके द्वारा विषयान्तर्गत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित टीप दिनांक 05.03.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
5. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश की ओर आदेश की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश डॉ.दिनेश ठाकुर,चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला छिन्दवाड़ा को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट साथ ही इनके विरूद्ध आरोप पत्रादि का प्रारूप 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा की ओर प्रेषित।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला छिन्दवाड़ा की ओर उनके पत्र क्रमांक./कार्य.प्र./2018/622/दिनांक 05.03.2018 द्वारा संचालनालय को डॉ.दिनेश ठाकुर चिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये उक्त कृत्य के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश।
10. डॉ.दिनेश ठाकुर,चिकित्सा अधिकारी,कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला छिन्दवाड़ा द्वारा :–क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईड़ पर अपलोड़ करावें।
12. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश